कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-04.08.2025

विषयः- मोटरसाईल चोरी व पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामलें 25000/- रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त रोहित कुमार पटेल उर्फ लाल पटेल को थाना रोहनियां पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनियां के कुशल नेतृत्व मे थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 372/2024 धारा 303(2),317(2),317(4) बीएनएस व मु0अ0सं0 374/2025 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रोहनियां कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित 25000/- रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त रोहित कुमार पटेल उर्फ लाल पटेल पुत्र राजनाथ पटेल निवासी ग्राम कनेरी गंगापुर थाना रोहनियां कमिश्नरेट वाराणसी को आज दिनांक 04.08.2025 को समय करीब 14.30 बजे ट्रान्सपोर्ट नगर मोहनसराय के पास थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक 10.12.2024 को वादी मुकदमा ने अपनी मोटरसाईकिल अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिये जिसके आधार पर थाना रोहनियां पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 धर्मेन्द्र राजपूत द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रोहित कुमार पटेल उर्फ लाल पटेल पुत्र राजनाथ पटेल निवासी ग्राम कनेरी गंगापुर थाना रोहनियां कमिश्नरेट वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

ट्रान्सपोर्ट नगर मोहनसराय के पास थाना रोहनियां कमिश्नरेट वाराणसी से, दिनांक 04.08.2025 को समय करीब 14.30 बजे।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं और मेरा एक साथी मिलकर हरदत्तपुर स्टेशन के पास लान से मोटरसाईकिल चोरी किये जिसमें पुलिस द्वारा मुझे व मेरे साथी को पकड़ने आयी तो पकड़े जाने के डर से पुलिस पर फायरिंग किया जिसमें मेरा साथी पकड़ा गया और मै भाग गया। मै अपनी माँ से मिलने घर पर आया था कि पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1.मु0अ0स0 374/2025 धारा109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रोहनियां कमिश्नरेट वाराणसी।

2.मु0अ0सं0 372/2024 धारा 303(2),317(2),317(4) बीएनएस थाना रोहनियां कमिश्नरेट वाराणसी

3.मु0अ0स0 289/2024 धारा 303(2),317(2),317(4) बीएनएस थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी।

4.मु0अ0स0 124/2024 धारा 413 भादवि थाना रोहनियां कमिश्नरेट वाराणसी।

5.मु0अ0स0 115/2021 धारा 379,411,413,414 भादवि थाना रोहनियां कमिश्नरेट वाराणसी।

6.मु0अ0स0 123/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रोहनियां कमिश्नरेट वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक राजू सिंह थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 कोमल कुमार थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 धर्मेन्द्र राजपूत थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी।
4. उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार थाना रोहिनियां कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।